राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1230/2024

श्रीमती अनीता मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (A-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 10.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) संवर्ग में पदोन्नति हेतु विचार नहीं किये जाने के संबंध में आलोच्य आदेश दिनांक 01.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) में पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी के नाम पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जावें कि एकस्ट्रा आर्डिनरी लीव की गणना अनुभव में करते हुये स्वीकृत हेतु विचार करते हुये उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आर.ए.एस. (जूनियर स्केल) के पद पर हुई थी और दिनांक 15.05.2006 को

उसने कार्यग्रहण किया तथा वर्ष 2013 में सीनियर स्केल आर.ए.एस. के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा दिनांक 01.04.2016 को आर.ए.एस. सलेक्शन स्केल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। उनका कथन है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने उपरांत नियम 1954 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) कैडर में देय थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है और इस प्रकार 18 वर्ष के बजाय अपीलार्थी की पदोन्नति 16 वर्ष में देय थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 50 पर अंकित था। परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी ने अवकाश चाहा और जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। आदेश दिनांक 07.01.2010 के द्वारा कुल 144 दिवसों का अवकाश जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त अवकाश सेवा अन्य परिलाभों के लिये गणना योग्य है और उसी के समान जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 06.07.2010 को आदेश भी जारी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिक जैसे श्रीमती ज्योति चौहान, सीमा कुमार एवं बिंदु करूणाकर जिन्होंने एकस्ट्रा आर्डिनरी लीव उपभोग किये हैं और उनके अवकाशों पर विचार करते हुये उनके 18 वर्ष की सेवा का अनुभव नहीं होने पर प्रकरण डेफर किया गया। परंतु बाद में उक्त कार्मिकों के एकस्ट्रा आर्डिनरी लीव पर विचार करते हुये आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी के मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 12.07.2023 को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि दूसरे अधिकारियों का रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया गया, परंतु अपीलार्थी के मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है। जबकि एकस्ट्रा आर्डिनरी लीव सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई हैं और उक्त लीव के आधार पर पदोन्नति को राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत डेफर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राजस्थान राज्य बीमा सेवा में दीपी गोयल, उप निदेशक जो विदेश जाने के लिये 529 दिवसों के लिये विदेश गये थे और उक्त अवकाशों का सेवा में विचार किया गया तथा रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के एकस्ट्रा आर्डिनरी लीव पर विचार न करते

हुये उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो राजस्थान सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) संवर्ग में पदोन्नति हेतु विचार नहीं किये जाने के संबंध में आलोच्य आदेश दिनांक 01.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) में पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी के नाम पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जावें कि एकस्ट्रा आर्डिनरी लीव की गणना अनुभव में करते हुये स्वीकृत हेतु विचार करते हुये उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 के द्वारा वांछित अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। किंतु अपीलार्थी को 411 दिवसों का असाधारण अवकाश निजी कारणों से स्वीकृत होने के कारण निर्धारित 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं होती है। चूंकि असाधारण अवकाश अवधि को अनुभव में गणना योग्य नहीं माना है, जिसके कारण अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। अनुभव की गणना नियुक्ति तिथी से नहीं की जाकर नियुक्ति तिथी के आगामी एक अप्रेल से की जाती है, जिसके कारण निर्धारित 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं होती है। श्रीमती ज्योति चौहान, सीमा कुमार एवं बिंदु करूणाकर की असाधारण अवकाश अवधि की गणना अनुभव में नहीं की गई है अपितु उपरोक्त तीनों राज सेवकों को तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय की अभिशंषा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आर.ए.एस. सेवा नियम, 1954 के नियम 41 के तहत असाधारण अवकाश अवधि का शिथिलन प्रदान किया गया है। अपीलार्थी से कनिष्ठ राज सेवक निर्धारित अनुभव पूर्ण करते हैं इसलिये उनकों पदोन्नत किये जाने की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी को निजी कारणों जैसे सिविल सेवा परीक्षा, आईवीएफ के लिये असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है और कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण के अनुसार निजी कार्य हेतु लिये गये असाधारण अवकाश अवधि की गणना पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अनुभव के रूप में किये जाने का प्रावधान नहीं है,

जिसके कारण अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा असाधारण अवकाश उपभोग के कारण 16 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। जबकि राजस्थान सेवा नियम के उप नियम 9ए के नियम 7 में यह प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि एवं ड्यूटी अवधि सभी निरंतर सेवा के लिये मानी जायेगी। राजस्थान सेवा नियम के नियम 9ए में सरकार ने यह निर्णीत किया है कि असाधारण अवकाश अवधि भी सेवा की अवधि में जोडी जायेगी और नियम 1954 के नियम 4ओ में भी यह स्पष्ट किया है कि जो कार्मिक स्वीकृत अवकाश उपभोग करता है वह अवकाश अवधि भी ड्यूटी एवं अनुभव सभी उद्देशों से गणना की जायेगी। दीपी गोयल वाले मामले में भी जिन्होंने 529 दिवसों का अवकाश उपभोग किया और उक्त अवकाश अवधि भी सेवा में अनुभव के उद्देश्य से जोडी गई। परंतु अपीलार्थी द्वारा उपभोग की गई असाधारण अवकाश अवधि को अनुभव एवं सेवा हेतु विचार नहीं किया गया और जिसके कारण अपीलार्थी को आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो सेवा नियमों एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आर.ए.एस. (जूनियर स्केल) के पद पर हुई थी तथा वर्ष 2013 में सीनियर स्केल आर.ए.एस. के पद पर एवं दिनांक 01.04.2016 को आर.ए.एस. सलेक्शन स्केल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रथम नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने उपरांत नियम 1954 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) कैडर में देय थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है और इस प्रकार 18 वर्ष के बजाय अपीलार्थी की पदोन्नति 16 वर्ष में देय थी। परंतु प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अपीलार्थी के उक्त पद पर पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश

दिनांक 01.07.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु यह कहते हुये विचार नहीं किया गया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण उनके प्रकरण पर विचार नहीं किया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी द्वारा 411 दिवस का असाधारण अवकाश लेने के कारण अपीलार्थी का अनुभव पूर्ण नहीं हो पाया। जबकि अपीलार्थी द्वारा जो असाधारण अवकाश लिया गया है वह कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक आदि के द्वारा सक्षम स्तर पर उक्त अवकाश स्वीकृत किये गये हैं और सक्षम स्तर पर स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उनके जवाब में ऐसी कोई आपत्ति भी नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त असाधारण अवकाश नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है और जो असाधारण अवकाश स्वीकृत किये गये हैं, उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उक्त अवधि को अन्य परिलाभों में गणना योग्य माना जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी का असाधारण अवकाश स्वीकृत उपरांत अपीलार्थी अवकाश पर गया और राजस्थान सेवा नियम, 1954 के नियम 7(9A) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *"(9A) First ten/twenty years of service "Next ten years of service" "Completed years of service" and "one year's continous service" means continuous service of the specified duration under the Government of Rajasthan and any of its Covenanting States, and includes period spent on duty as well as on leave including extraordinary leave.*
>
> ***Government of Rajasthan's Decision***
>
> *The term "completed year of service" as defined in Rajasthan Service Rules includes also periods spent on leave including extraordinary leave."*

इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियम, 1954 के नियम 7(2)(8) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *"(8) Duty -*
> *(a) Duty includes -*
> *(i) Service as a probationer or apprentice, provided that such service is follwed by confirmation.*
> *(ii) Joining time.*
> *(iii) In respect of a Government servant returning from leave the day of taking over charge of the same post from which he proceeds on leave.*
> *(iv) Probationer-trainee."*

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 4(1)(0) में निम्न प्रावधान 'सेवा' एवं 'अनुभव' के सम्बन्ध में है–

> *"(O) "Service or Experience" wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one service to another or within the Service from one category to another or to senior posts, in the case of a person holding a lower post eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post after regular selection in accordance with Rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India.*
>
> *Note :- Absence during Service e.g. training, leave and deputation etc. which are treated as "duty" under the Rajasthan Service Rules, 1951 shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion."*

अन्य समान प्रकरणों श्रीमती ज्योति चौहान, सीमा कुमार एवं बिंदु करूणाकर जिनके संबंध में आदेश दिनांक 20.07.2020 द्वारा 18 वर्ष की सेवा का अनुभव संबंधी प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन होने के कारण इनका प्रकरण डेफर कर रिक्त पद रखे जाने की अभिशंषा की गई और आदेश दिनांक 15.12.2020 के द्वारा उक्त कार्मिकों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की (सुपर टाईम स्केल) वर्ष 2020–21 में पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है एवं अपीलार्थी की असाधारण अवकाश की सक्षम स्तर से स्वीकृति है एवं स्वीकृति आदेशों में अवकाश अवधि को अन्य परिलाभों में गणना योग्य माने जाने के निर्देशों के साथ स्वीकृत किया गया था। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नाम पर आर.ए.एस. की सुपर टाईम स्केल पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 01.07.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को नियमानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश जो सक्षम स्तर से अन्य परिलाभों में गणना योग्य माने जाने के निर्देशों के साथ स्वीकृत किया गया था, को ध्यान में रखते हुये एवं पूर्व में अन्य समान प्रकरणों के निराकरण के संबंध में लिये गये निर्णय को

दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी के संबंध में भी उसी अनुरूप निर्णय लिया जावे एवं पदोन्नति हेतु अन्यथा योग्य पाये जाने पर अपीलार्थी को आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) के पद पर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य